न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र संख्या 37 / 2021

	प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1	मोटाराम पुत्र धन्नाराम जाति गुर्जर निवासी रायरा कलां तहसील सोजत जिला पाली (राज0)।	1.	रतनाराम पुत्र पन्नाराम
		2.	कानाराम पुत्र पन्नाराम
		3.	लाबुराम पुत्र मोतीराम
		4.	मोटाराम पुत्र पेमाराम
		5.	सीतरराम पुत्र तेजाराम जातिगण गुर्जर निवासीगण रायरा कलां तहसील सोजत जिला पाली राज.।
		6.	तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111, 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थितिः—

01. श्री पवन दवे अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
02. तहसीलदार, सोजत अप्रार्थी संख्या 06 उपस्थित।

—: निर्णय :— **दिनांकः 16.05.2022**

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने विरूद्व अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 110, 111, 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा रायरा कलां खुर्द पटवार हल्का खोडिया भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गुड़ाबींजा तहसील सोजत में प्रार्थी स्वयं की खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि ख0नं0 459 रकबा 0.6500 है0, ख0नं0 470 रकबा 0.2500 है0 कुल खसरा 02 कुल रकबा 0.9000 है0 की स्थित है। जो प्रस्तुत राजस्व जमाबंदी एवं राजस्व नक्शा से स्पष्ट है। उक्त खातेदारी भूमि का एकमात्र मालिक की हैसियत निर्बाध रूप से उपयोग उपभोग करता आया है। जिसमें किसी भी अन्य व्यक्ति की कोई बाधा, अड़चन इत्यादि नहीं रही है। प्रार्थी उम्रदराज होने के कारण कमजोर है, जो अक्सर बीमार रहता है तथा एक पुत्र रास मे निवास करते है जो कि समय समय पर आकर उक्त कृषि भूमि की सार संभाल करते रहते है तथा प्रार्थी गांव में ही निवास करता है, जिसका आबादी में मकान स्थित है। अप्रार्थी संख्या 1 से 5 तमाम द्वारा प्रार्थी के पुत्रों के गांव से बाहर निवास करने तथा प्रार्थी के उम्रदराज, कमजोर होने के तथ्यों की जानकारी होने से प्रार्थी की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने की नियत से माह जनवरी 2020 में प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नक्शे में लाल स्याही से दर्शित भू भाग पर अवैध रूप से प्रार्थी की तारबंदी को अवैध रूप से तोड़ कर उसमें कब्जा कर लिया तथा प्रार्थी के द्वारा लगाये गये पेड़ो को भी काटने लग गये, जिसकी सूचना प्रार्थी को गांव वालों से प्राप्त हुई। जिस पर प्रार्थी ने उनको मना किया परन्तु वे अप्रार्थी सं0 1 से 5 नहीं माने, तब प्रार्थी ने अपने पुत्रों को इस संबंध में फोन पर सूचना दी। जिस पर प्रार्थी के पुत्र फरवरी 2020 में अपने गांव आये और इस सम्बन्ध में अप्रार्थीगण को ओलम्बा दिया तो उन्होने कहा कि हमारे द्वारा आपकी भूमि पर किये गये अवैध कब्जा को हम पुनः खाली कर देगे। इस बात पर प्रार्थी ने अप्रार्थीगण पर विश्वास कर लिया परन्तु अप्रार्थी सं0 1 से 5 की नियत बद्व हो चुकी थी तथा प्रार्थी की खातेदारी कब्जासुदा समस्त भूमि को लाठी लकड़ी के बल पर हड़प करना चाहते है। जबकि अप्रार्थी संख्या 1 से 5 तमाम द्वारा प्रार्थी की

भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। उक्त आशय का वाद एवं अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र हाजा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिसमें राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 27/2020 बअनवान मोटाराम बनाम रतनाराम वगैरा में दिनांक 22.10.2020 को अंतरिम निषेधाज्ञा प्रार्थी के पक्ष में एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 5 के विरूद्ध निर्णय देकर अप्रार्थीगण को प्रार्थी के हक हिस्से में निर्माण, दखलांदाजी नहीं करने एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने हुए जरिये अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने तक पाबंद किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 5 तमाम बदमाश प्रवृति के व्यक्ति है जो भूमि पर अवैध अतिक्रमण करते है जिन्होने उक्त वर्णित प्रार्थी की खातेदारी की चिपते ही अप्रार्थीगण की अतिक्रमण की भूमि स्थित है। अप्रार्थीगण का अन्य पड़ौसी खातेदार की कृषि भूमियो के बीच स्थित माठो एवं सीमाओ एवं धोरा पाली को लेकर हमेशा मौके पर भारी विवाद उत्पन्न होते रहते है। तथा मौके पर माठो एवं सीमाओं के विवाद को लेकर आपसी मन मुटाव व विवाद होते रहते है तथा मौके पर सीमाज्ञान एवं पत्थर गढ़ी के अभाव में मौके पर भारी विवाद होने की आंशका रहती है तथा पूर्व में भी मौके पर सीमाज्ञान एवं पत्थर गढ़ी के अभाव में विवाद हुए थे तथा मौके पर हर समय सीमा एवं माठ को लेकर भारी विवाद होते रहते है। उक्त वर्णित कृषि भूमि के सीमांकन एवं पैमाइश हेतु आवेदन तहसीलदार सोजत के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था जिस पर तहसीलदार सोजत ने सम्बंधित पटवारी हल्का द्वारा जांच रिपोर्ट में मौके पर सीमाओं में विवाद होने तथा जान माल की हानि होने की संभावना के कारण सीमांकन नहीं किया गया। जिसके अभाव में अप्रार्थी संख्या 1 से 5 द्वारा प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि में कब्जा करने की अवैध नियत रखते है, यदि अप्रार्थीगण प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि पर अवैध कब्जा कर लेते है तो प्रार्थी को अपूर्णिय क्षति कारित होगी जिसका मूल्यांकन कदापि रूपयों में नहीं आंका जा सकेगा। इसलिये प्रार्थी की खातेदारी भूमि का सीमांकन एवं पत्थरगढ़ी करवाया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। इसलिए यह प्रार्थना पत्र बाबत् सीमांकन किया जाकर मौके पर पत्थरगढी के जरिए मुटाम लगवाये जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर उक्त प्रा0 पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से 05 को तामिली सूचना बावजूद बार–बार आवाजे दिलाये जाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध दिनांक 16.05.2022 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 06 तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) सोजत ने उक्त प्रार्थना पत्र का जबाब पेश कर अंकित किया कि पैरा 1 में वर्णित कृषि भूमि सरहद मौजा रायरा कलां मे होना बताया, पैरा 2, 3, 4 में वर्णित तथ्यों को प्रार्थी स्वय सिद्ध करना व पैरा 5, 6, 7, 8 कानूनी होना अंकित किया है।

बहस प्रार्थना पत्र वकुलाय सुनी गई। बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने व्यक्त किया कि हस्ब प्रार्थना पत्र प्रार्थी की सरहद मौजा रायरा कलां तहसील–सोजत में प्रार्थी की स्थित खातेदारी कृषि भूमि ख0नं0 459 रकबा 0.6500 है0, ख0नं0 470 रकबा 0.2500 है0 कुल खसरा 02 कुल रकबा 0.9000 है0. का बरूवे मौका राजस्व रेकर्ड एवं राजस्व नक्शा अनुसार मौके पर नापचौप करके सीमांकन करवाकर मुटाम लगवाया जावें तत् पश्चात् मौके पर पत्थरगढ़ी/नेखमबन्दी करवायी जाने की ईश्तदुआ की है। बहस के दौरान अप्रार्थी तहसीलदार, सोजत ने व्यक्त किया कि प्रार्थित भूमि का यदि सीमांकन किया जाकर जरिए पत्थरगढी मुटाम कायम किये जाने के आदेश पारित किये जाने तो कोई आपति नही है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रा0 पत्र मय शपथ पत्र व फहरिस्त मय दस्तावेज का अध्ययन कर बहस अधिवक्ता प्रार्थी व अप्रार्थी तहसीलदार, सोजत पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः सरहद मौजा रायरा कलां तहसील–सोजत में प्रार्थी की स्थित खातेदारी कृषि भूमि ख0नं0 459 रकबा 0.6500 है0, ख0नं0 470 रकबा 0.2500 है0 कुल

खसरा 02 कुल रकबा 0.9000 है0 भूमि स्थित का सीमाज्ञान/सीमांकन करवाया जाकर मुटाम लगवाये जाने तथा मौके पर तहसीलदार, सोजत के नेतृत्व में भू0अ0 निरीक्षक पटवारी सम्बंधित व एक अन्य पटवारी की संयुक्त कमेटी गठित करके पत्थरगढी करवाई जाने की पालना किये जाने हेतु आदेशित किया जाना उचित समझते है।

—: आदेश:—

अतः अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111 एवं 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि सरहद मौजा रायरा कलां तहसील सोजत में स्थित ख0नं0 459 रकबा 0.6500 है0, ख0नं0 470 रकबा 0.2500 है0 कुल खसरा 02 कुल रकबा 0.9000 है0 कृषि भूमि का मौके पर नाप चौप करके सीमांकन किये जाने तथा उभय पक्षों/पक्षकारों को पृथक पृथक सीमाज्ञान/सीमांकन करवाया जाकर मुटाम लगवाये जाने तथा तत्पश्चात मौके पर तहसीलदार, सोजत के नेतृत्व में भू0अ0 निरीक्षक पटवारी सम्बंधित व एक अन्य पटवारी की संयुक्त कमेटी गठित करके पत्थरगढी करवाया जाने हेतु आदेशित किया जाता है। तहसीलदार, सोजत को निर्णय की प्रति भेजकर पालना तहरीर भेजकर मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हों।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

निर्णय आज दिनांक 16.05.2022 को सरे ईजलास पृथक से लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत